NATION TAX MARKET

REGISTERED AD

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

प्रधान आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSONERATE, JAIPUR
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)
NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)
EMAIL: ccu1400@rediffmail.com (कैडर कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II–31(02)सीसीयू / जे.जेड / 2022 / 752-818 दिनांक: .08.2022

नियुक्ति प्रस्ताव (Offer of Appointment)

निम्नलिखित उम्मीदवारों को वेतनमान पी.बी.–2 रू. 9300–34800 तथा ग्रेड वेतन रू. 4600/– {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू 44900–142400 में लेवल 7 (Level-7 in the Pay Matrix Rs. 44900–142400)} एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षेत्राधिकार में निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. (ग्रुप–ब, अराजपत्रित) के पद पर अस्थाई नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है:–

S. No.	Name of Candidate S/Sh/Ms.	Date of Birth	Category
1	HARI MOHAN SHARMA	15.08.1992	UR
2	LOKESH RAJUSTH	04.01.1993	EWS
3	GAGAN SINGH	15.07.1996	UR
4	ROHIT ACHARYA	20.08.1996	UR
5	HARISH KUMAR	23.10.1997	UR
6	NIKHAR GARG	28.05.1995	UR
7	KALPIT NIGAM	31.03.1994	UR
8	AYUSH KHANDELWAL	20.09.1995	UR
9	GIRRAJ SHARMA	05.07.1996	UR
10	BHARTI GUPTA	09.04.1996	UR
11	VISHNU DAS	05.07.1993	OBC
12	ANJALI SONI	10.11.2000	OBC
13	ARJUN LAL RATIWAL	08.10.1996	OBC
14	MANISH KUMAR CHOUDHARY	10.09.1998	OBC
15	NITESH KANSARA	06.12.1993	OBC
16	YOGESH AGRAWAL	15.12.1994	EWS
17	ANKITA JANGIR	02.10.1996	OBC
18	JAIVARDHAN SINGH	02.07.1997	OBC
19	NISHANT GUPTA	20.08.1996	EWS
20	LAVESH KUMAR GUPTA	10.03.2000	EWS
21	KRISHAN CHANDRA	11.07.1995	OBC
22	SURENDRA KUMAR SWAMI	02.12.1995	OBC
23	RAJESH KUMAR	15.07.1993	OBC
24	DAMODAR MOYAL	05.05.1998	SC
25	NIRMAL	06.07.1998	SC
26	DHARMENDRA KUMAR MEENA	18.08.1997	ST
27	MANGAL CHAND VERMA	02.07.1998	SC
28	AKSHAY MAKAWANA	11.10.1995	SC
29	NITESH HINGONIA	10.06.1994	SC
30	LOKESH KUMAR	05.08.1994	SC

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर–"अ" में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगी :–

1. उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उनकी इस विभाग में सेवा बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी और इस प्रकार का असत्य तथ्य/ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धो के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

2. उनका निरीक्षक पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा। उन्हें दो वर्ष के अन्दर स्थायीकरण हेतु निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा विभागीय परीक्षण नियमावली के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
3. उनकी निरीक्षक श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
4. DoPT O.M. No. 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 के पैरा 15 और 18 के अनुसार परिवीक्षा की अवधि की उक्त दशा में ऐसी अवधि या अवधियो के अनुसार बढाई जा सकती है जो आवश्यक हो, इस शर्त के अधीन की कुल परिवीक्षा की अवधि की निर्धारित अवधि से दोगुनी से अधिक नहीं है: (क) निर्धारित प्रशिक्षण से नहीं गुजरना, (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना या (ग) किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है।
5. वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं तथा वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एंव सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या ए. 32022/19/2008–प्रशा.तृतीय.ए दिंनाक 19.11.2010 के अनुसार उपरोक्त उम्मीदवारों की <u>All India Transfer Liability</u> रहेगी।
6. यदि वे संलग्न एनक्जर–''अ'' व उपरोक्त वर्णित शर्तो को स्वीकार करते हों तो दिनांक 15.09.2022 को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निरीक्षक पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्नः– एनक्जर–''अ''

चन्द्र प्रकाश गोयल
17/08/2022

(चन्द्र प्रकाश गोयल)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. अवर सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi – 110066 को उनके पत्र F. No. A-12034/SSC/01/2020-Ad.III B दिनांक 13.07.2022 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अधीक्षक (प्रशासन/ गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. (जयपुर परिक्षेत्र) जयपुर।
4. मु.ले.अधिकारी/ आहरण एवं वितरण अधिकरी/ प्रशा. अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक(सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/ अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
5. वेतन एंव लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
6. निजी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा उक्त सूची के अनुसार
7. निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका / गार्ड फाईल / नोटिस बोर्ड/वरीयता सूची।
8. महा सचिव, निरीक्षक एसोसिएशन, जयपुर।
9. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

चन्द्र प्रकाश गोयल
17/08/2022

(चन्द्र प्रकाश गोयल)
प्रधान आयुक्त

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... सुपत्र / सुपत्री श्री .... निवासी .... को पिछले .... वर्ष .... माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

श्री .... मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक : ....

(हस्ताक्षर एंव पद)

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... सुपुत्र / सुपुत्री श्री .... निवासी .... को पिछले .... वर्ष .... माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

श्री .... मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक : ....

(हस्ताक्षर एंव पद)

"एनक्जर–अ"

मुख्य आयुक्त कार्यालय
सी.जी.एस.टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर

सेवा की शर्तें

(1) उनको दो राजपत्रित अधिकारियों, जो कि उनसे संबंधित न हों, से दो चरित्र प्रमाण प्रमाण (तीन महीने से अधिक पुराने न हों) प्रस्तुत करने होंगे, उनको सेवा में लगाये रखना इस बात पर निर्भर करता है कि वे सभी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए उपर्युक्त पाये जायें।

(2) किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो–
- (क) भारत का नागरिक हों, या
- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या
- (ड.) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।

– किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया हो।

(3) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4) उन्हें नीचे दिए फार्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :

" मैं घोषणा करता हूँ कि :–
- (क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।
- (ख) मैं विवाहित हूँ और मेरे एक ही जीवित पत्नी है।

– मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाये तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया ज़ा सकता है।

(5) उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय–समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।

(7) किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।

(8) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(9) उनको नीचे दिए गए फार्म में वचन देना होगा :–

"मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय–समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।

(10) उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।

(11) उनको विभागीय परीक्षाओं के तहत निर्धारित विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(12) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है, जब तक कि जाति प्रमाण–पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाऐं बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(13) All new entrants, who have joined the Central Government Service on or after 01.01.2004 will be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F.No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003.